मनोरंजन कर विभाग

कार्य एवं कर्तव्य	शासन द्वारा विभिन्न आमोदो के आयोजन की अनुमति प्रदान करने तथा राजस्व के तौर पर मनोरंजन कर की वसूली।

2.विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्ति एवं कर्तव्य

		संख्या
जनपद स्तर पर विभागीय अधिकारी :-	जिला मनोरंजन कर अधिकारी	01
कर्मचारी :-	मनोरंजन कर निरीक्षक	02
	मनोरंजन कर लिपिक	01
	अनुसेवक	01

जिला मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यरत मनोरंजन कर निरीक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा विभिन्न आमोदों को विभागीय नियमावली के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट से इनके आयोजन की अनुमति हेतु औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अपर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से पत्रावली प्रस्तुत की जाती है तथा आमोदो से मनोरंजन कर की वसूली सुनिश्चित कराई जाती है।

मनोरंजन कर निरीक्षकों द्वारा अपने.अपने क्षेत्रों के आमोदों का निरीक्षण तथा उनसे प्राप्त होने वाले मनोरंजन कर की नियमानुसार वसूली एवं आमोदों में प्राविधानिक नियमों का अनुपालन कराया जाता है।

मनोरंजन कर लिपिक द्वारा समस्त अभिलेखों का रख-रखाव,प्रार्थना पत्रों के प्राप्त होने पर सम्बन्धित से निस्तारण कराने एवं अधिकारी कर्मचारी के विभिन्न प्रकार के भत्तों एवं वेतन आदि के बिलों को तैयार करके भुगतान कराये जाने का कार्य सम्पन्न कराया जाता है ।

अनुसेवक द्वारा कार्यालय सम्बन्धी डाक को यथा सम्बन्धित को प्राप्त कराने एवं लिपिक के साथ सामन्जस रखकर कार्यालय को समयानुसार खोलने एवं बन्द करने का कार्य करना होता है ।

3,4 - निर्णय लिये जाने सम्बन्धी प्रक्रिया ,कार्य के माप दण्ड एवं जिम्मेदारी

विभागीय कार्यों में मुख्यतयः सिनेमाओं,अस्थाई सिनेमाओं ,वीडियो लाइब्रेरी के लाइसेन्स एवं केबिल प्रदर्शन की अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट को की जाती है । समस्त मामलों में विभागीय निरीक्षकों की आख्या प्राप्त होने के पश्चात जिला मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति अपर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को अनुमति हेतु भेजी जाती है । उक्त प्रक्रिया में मनोरंजन कर लिपिक,निरीक्षक व जिला स्तरीय अधिकारी अपने स्तर की आख्या हेतु जिम्मेदार होते हैं ।

5.कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन हेतु नियमावली ,अधिनियम के सम्बन्ध में :-

विभाग द्वारा विभिन्न आमोदों जैसे सिनेमा,केबिल,वीडियो.टूरिंग सिनेमा तथा वीडियो लाइब्रेरी के प्रदर्शन की अनुमति एवं इनसे मनोरंजन कर की वसूली हेतु निम्नलिखित नियमावली/,अधिनियम का प्रयोग किया जाता है :-

नियम/अधिनियम :-

उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951

उत्तर .प्रदेश आमोद एवं पणकर नियमावली 1981

उत्तर–प्रदेश वीडियो नियमावली 1988
उत्तर–प्रदेश केबिल द्वारा प्रदर्शन नियमावली 1997
उत्तर–प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979
उत्तर–प्रदेश चलचित्र विनियमन अधिनियम 1955

6.विभाग का जनपद स्तर पर अभिलेखों के रख–रखाव का विवरण :-

1-प्रस्तर 5 में वर्णित नियमावली/अधिनियम के अतिरिक्त समस्त विभागीय शासनादेश व सरकुलर
2-सभी संचालित स्थाई/अस्थाई सिनेमाओं ,वीडियो सिनेमाओं ,वीडियो लाइब्रेरी,केबिल सेन्टरों की पत्रावली ।
3-मनोरंजन कर जमा करने सम्बन्धी परिष्ट 1,2
4-कार्यालय व्यय व स्टाक रजिस्टर ,उपस्थित पंजिका व शिकायत पंजिका ।
7-बिन्दु संख्या 7 विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

8:.समिति का गठन व कार्य :-

मनोरंजन कर आयुक्त के आदेशासनुसार केबिल आपरेटर एवं उपभोक्ता की एक समिति गठित की गई है । समिति में उपभोक्ताओं की समस्याओं से सम्बन्धित मासिक बैठक आयोजित की जाती है । समिति के सदस्यों में से तीन सदस्य आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । उनके नाम क्रमशः :-

1.अब्दुल हक उर्फ दुखी भाई ।
2.राधे रमण मिश्र।
3.अशफाक उर्फ कल्लू।
9.विभागीय अधिकारी/कर्मचारी का विवरण:.

कार्यालय :-	कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ।
1.जिला मनोरंजन कर अधिकारी	श्री सी0पी0सिंह
2.मनोरंजन कर निरीक्षक	श्री प्रदीप कुमार सक्सेना
3.मनोरंजन कर निरीक्षक	श्री आर0बी0सिंह
4.मनोरंजन कर लिपिक	श्री धर्मेन्द्र मिश्र
5.अनुसेवक	श्री मेंहदी हसन

10.मासिक वेतन आदि का विस्तृत विवरण

क्रमांक	नाम कर्मचारी	वेतन	मंहगाई भत्ता	महगाई वेतन	अन्य	योग
1	**1.श्री** सी0पी0सिंह	8700	6134	4350	350	19534
2	2.श्री प्रदीप कुमार सक्सेना	6375	4495	3188	805	14863
3	3.श्री आर0बी0सिंह	6950	4900	3475	860	16185
4	4.श्री धर्मेन्द्र मिश्र	4800	3314	2350	340	10804
5	5.मेहदी हसन	3380	2383	1690	230	7683

11.वर्ष 05–06 हेतु स्वीकृत बजटः.

1.वेतन	295800.00
2.म0भत्ता	156800.00
3.मंहगाई वेतन	147900.00
3.अन्य भत्ता	25000.00
4.कार्यालय व्यय	–
5. लेखन सामग्री	–
6. यात्रा भत्ता	–
7. कार्यालय फर्नीचर	–
योग.	625500.00

12.शासन द्वारा नये सिनेमा/मल्टीप्लेक्स खोले जाने हेतु कर छूट के सम्बन्ध में निम्नलिखित शासनादेश निर्गत किये गये हैं :-

1. शासनादेश संख्या 1409 दिनांक 11 अगस्त 2000 के अन्तर्गत 5 वर्षो तक मनोरंजन कर में छूट प्रदान की गई है ।
2. शासनादेश संख्या 2226/11क0नि0 6.2001- बीस.आर(12) /98.टी0सी0 दिनांक 12.11.2001 द्वारा मल्टीप्लेक्स सिनेमाओं के निर्माण तथा 5 वर्षों तक कर छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत किया गया । उक्त योजना दिनांक 31.03.05 तक लागू थी जिसे बढ़ाकर दिनांक 31.03.2010 तक किया गया ।

13. सम्बन्धित नहीं 14415. विभाग से सम्बन्धित सूचनायें कार्यालय समय 10 ए.एम. से 5पी.एम.

16.जन सूचना अधिकारी का नाम व पद नाम :-

जनपद स्तर पर श्री सी0पी0सिंह,जिला मनोरंजन कर अधिकारी ,सुलतानपुर को सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

17.जनपद में संचालित विभिन्न आमादों का विवरणः-

1.स्थाई सिनेमाओं की संख्या	05
2.अस्थाई सिनेमाओं की संख्या	02
3.अस्थाई वीडियो सिनेमा	10
4.वीडियो लाइब्रेरी की संख्या	131
5.केबिल आपरेटर की संख्या	36

उपरोक्त आमोदों की संख्या परिवर्तनीय है।

(अखिलेश तिवारी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन)
सुलतानपुर